

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2017

विषय:- मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-279/अड़तीस-5-17-6सम/17 दिनांक 05 मार्च, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 05 मार्च, 2017 के बिन्दु-(1) की अन्तिम पंक्ति में उल्लिखित "यथावश्यक" के स्थान पर "अनिवार्यतः" शब्द पढ़ा जाय। इस सीमा तक पत्र संख्या-279/अड़तीस-5-17-6सम/17 दिनांक 05 मार्च, 2017 को संशोधित समझा जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा हेतु दिनांक 03.04.2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अपने-अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)  
विशेष सचिव।

संख्या- 294 (1)/अड़तीस-5-2017, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त जिला विकास अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीश चन्द्र वर्मा)  
विशेष सचिव।